PH96296-170513

BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–800004

Website-www.biadabihar.in ,Email- biada@rediffmail.com Phone: 0612 – 2675352 / 2675991 / फैक्स 2675889

आदेश

बियाडा के निदेशक पर्षद् की 42वीं बैठक में बियाडा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्षेत्र की इकाई को सेवा प्रक्षेत्र में परिवर्त्तन की अनुमति देने एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रक्षेत्रवार आवंटन के लिए भूमि निर्धारण में संशोधन के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए:–

1. नये एवं वर्त्तमान औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक प्रांगण/ विकास केन्द्र (उन क्षेत्रों को छोड़कर जो किसी विशिष्ट गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा कर्णांकित किए गए) में प्रक्षेत्रवार आवंटन निम्न प्रकार से करने का निर्णय लिया गया:–

    i. Manufacturing/ Processing (including Digital Processing) Units – Minimum 65%
    ii. IT Park including ITeS/Industrial (Manufacturing/Processing) Parks- Maximum – 20%
    iii. Common Logistical facility – Maximum – 10%
    iv. ITI/ ITC/Industrial Skill Development Centre – Maximum 5%

2. पुराने इकाईयो को उत्पादन क्षेत्र से दूसरे प्रक्षेत्र में आने की अनुमति देने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिए गए:–

    (i) प्रक्षेत्रवार भूमि आवंटन के प्रतिशत के अधीन पुरानी इकाईयों को भी नये प्रक्षेत्र में आने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इस प्रकार का प्रक्षेत्र परिवत्र्तन पी.सी.सी. की बैठक की अनुशंसा के बाद दिया जायेगा।

    (ii) अगर कोई पुरानी इकाई उन्हें आवंटित भूमि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक इंडस्ट्रीयल पार्क या आई.टी. पार्क में परिवर्त्तित करना चाहती है तो उन्हें इसकी अनुमति दी जायेगी एवं इसे आई.टी. पार्क एवं इंडस्ट्रीयल पार्क की 20 प्रतिशत अधिसीमा में नहीं माना जायेगा। यह अनुशंसा औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि का Optimum उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ऐसे मामलों में उस उद्यमी विशेष को आई.टी. पार्क/ इंडस्ट्रीयल पार्क में परिवर्त्तित किये गए अंश को निर्धारित सबलीज की शर्त्तों पर सबलीज करने की अनुमति दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 16.05.2013
ह०/–

कार्यकारी निदेशक

ज्ञापांक 3172/0/174/DEV/BIADA/2013 दिनांक 17/05/2013

प्रतिलिपिः मुख्या प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा, पटना/सचिव/कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/भागलपुर/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/विधि परामर्शी, बियाडा पटना/परामर्शी आई० टी० एवं प्रबंध निदेशक के विशेष सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/5/13

कार्यकारी निदेशक